ई-कामर्स से जुड़ने के लिए एमएसएमई को 75% मदद

लखनऊ, विशेष संवाददाता। ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से छोटे उद्योगों को जुड़ने तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार कारोबारी मदद देगी। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) तथा एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के लिए राज्य सरकार वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देगी। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स बाजारों दाखिल होने की शरुआती लागत कम करना और अधिक एमएसएमई कारीगरों तथा पहली बार निर्यात करने वालों को दुनिया के उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम बनाना है।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए रियायतें

लखनऊ। औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत निवेशकों और उद्योगों को कई तरह की रियायतें दे रही है। इसमें पूंजी निवेश सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के तहत अतिरिक्त सहायता और नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति जैसे लाभ शामिल हैं। इन रियायतों का मकसद प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।